

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

मुरारी लाल शर्मा

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

12 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021

07.02.2021

06.01.2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1—श्री अविनाश साहू पुत्र श्री राजेश साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स शंकर घाणी बावडी बालाजी के सामने मेन मार्केट देवली जिला टोंक निवासी वार्ड नं० 11 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज०

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एवं धारा 31 की उपधारा (1)एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा०सु०अ० स्वयं।

2—अप्रार्थी उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 06.01.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.12.2020 को समय 2.01 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स अविनाश साहू पुत्र श्री राजेश साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स शंकर घाणी बावडी बालाजी के सामने मेन मार्केट देवली जिला टोंक निवासी वार्ड नं० 11 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज० पर पहुंचा। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री अविनाश साहू पुत्र श्री राजेश साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स शंकर घाणी बावडी बालाजी के सामने मेन मार्केट देवली जिला टोंक निवासी वार्ड नं० 11 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज० खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में तिल्ली का तेल खुला (Til Oil Loose) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री अविनाश साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता अविनाश साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक



आवेदक द्वारा दुकान में 33 किलोग्राम स्टील की केन में तिल्ली का तेल खुला (Til Oil Loose) रखे हुये में से 1600 ग्राम को इलेक्ट्रॉनिक तोलने की मशीन से तुलवाकर का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री अविनाश साहू को ₹0 384/-अक्षरे तीन सौ चौरासी रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा तिल्ली का तेल खुला (Til Oil Loose) खरीदशुदा 1600 ग्राम को बराबर-बराबर (एक भाग 400 ग्राम) अलग-अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियो में भरकर शिशियो के ढक्कन को एयर टाइट बंद किया नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2712 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।


चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2712 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. अविनाश साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4431 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2361/एक्ट/2020/2234 दिनांक 16.12.2020 अनुसार अविनाश साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया तिल्ली का तेल खुला (Til Oil Loose) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i) (zx) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का तिल्ली का तेल खुला (Til Oil Loose) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।



  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस तिल्ली का तेल खुला (Til Oil Loose) का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया तिल्ली का तेल खुला (Til Oil Loose) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री अविनाश साहू पुत्र श्री राजेश साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स शंकर घाणी बावडी बालाजी के सामने मेन मार्केट देवली जिला टोंक निवासी वार्ड नं० 11 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज० पर शास्ति 13,000 (अक्षरे तेरह हजार हजार रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.01.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



6-1-22  
(मुरारी लाल शर्मा)  
न्याय ~~अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट~~ एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज०